

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 362005

दिनांक :- 26/03/18

ग्रा0वि0-3/स्था0-9-25/16

प्रेषक,

राधा किशोर झा,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

समाहर्त्ता,
दरभंगा ।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में दरभंगा जिलान्तर्गत गौड़ा बरौम प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण एवं परिसर विकास हेतु बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत सतत् लीज पर 5.00 एकड़ रैयती भूमि लिये जाने के लिए कुल 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये मात्र का आवंटन ।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-361943 दिनांक-26.03.18

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0-361943 दिनांक-26.03.18 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दरभंगा जिलान्तर्गत गौड़ा बरौम प्रखंड सह अंचल के कार्यालय सह आवासीय भवन निर्माण एवं परिसर विकास हेतु मौजा-बरौम, थाना नं0-413 अन्तर्गत 5.00 एकड़ रैयती भूमि को बिहार रैयती भूमि लीज नीति-2014 के तहत सतत् लीज पर लेने के लिए कुल 1,00,00,000/- (एक करोड़) रुपये मात्र आवंटित की जाती है ।

2. आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2017-18 में योजना मुख्य शीर्ष-4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-103-ग्राम विकास उप शीर्ष-0102-प्रखंड लघु निर्माण कार्य, विपत्र कोड- 42-4515001030102 विषय शीर्ष- 53 मुख्य निर्माण कार्य 0102.53.02 भू-अर्जन मद से विकलनीय होगा ।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी समाहर्त्ता, दरभंगा होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, दरभंगा से वित्तीय वर्ष 2017-18 में अवश्य कर ली जायेगी ।

4. आवंटित राशि की निकासी, जमा एवं व्यय में वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561 वि0(2) दिनांक 17.04.1998, पत्रांक 7857 दिनांक 31.07.13 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/निदेशों का अनुपालन किया जायेगा । साथ ही वित्त विभाग के परिपत्र सं0-3687 दिनांक 30.03.12 एवं पत्रांक 5542 दिनांक 23.05.12 का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5. आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-361943 दिनांक- 26.03.18 में निहित निर्देशों के आलोक में किया जायेगा ।

6. इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारियों को दे दी गयी है ।

7. आवंटित राशि कोषागार से निकासी कर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

विश्वासभाजन,

(राधा किशोर झा)

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 362005

दिनांक:- 26/03/18

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 362005

दिनांक:- 26/03/18

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 362005

दिनांक:- 26/03/18

प्रतिलिपि- आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/ उप विकास आयुक्त, दरभंगा/ जिला कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/प्रखंड विकास पदाधिकारी, गौड़ा बौराम, दरभंगा/ अंचल अधिकारी, गौड़ा बौराम, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव

जापांक:- 362005

दिनांक:- 26/03/18

प्रतिलिपि- बजट शाखा, ग्रामीण विकास विभाग/ प्रभारी सांख्यिकी कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग/ श्री सुनिल कुमार, आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव